13351 30

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1446 / 2015 / दिनांकः ~~27~~.11.2015

श्री संजीव तोमर,
ए–838, गली नं0 11,
मीत नगर,
दिल्ली–110094

उप निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0पू0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री संजीव तोमर, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 10–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 27.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री संजीव तोमर, उपस्थित हुए एवं श्री राजेश शर्मा, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)– I, जी0टी0बी0 एनक्लेव जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 17.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 10.09.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि प्रश्न संख्या 4 का जवाब सही नहीं दिया गया है । सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि इससे ज्यादा सूचना अपीलकर्ता को प्रदान नहीं की जा सकती । सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत की पुनः जांच की जाए और सही उत्तर इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री संजीव तोमर, ए–838, गली नं0 11, मीत नगर, दिल्ली–110094
2. उप निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0पू0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)– I, जी0टी0बी0 एनक्लेव ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi

प्रथम अपीलीय अधिकारी